

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद—।  
संख्या: अट्ठारह—आशु०—(वरि०)—२०१५ दिनांक : दिसम्बर १७ ,२०१५

सेवा में,

१— समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

२— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के समसंख्यक पत्र दिनांकित: 27.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) की अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी थी।

२— पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की निर्गत उक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निवारण करते हुए संशोधन कर दिया गया है एवं अब कुल ६९८ कर्मियों की अन्तिम (**Final**) वरिष्ठता सूची की तैयार की गयी है, जो <http://uppolice.gov.in> में 'Karmik' folder में Internet पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर Download करके अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित कराने का कष्ट करें।

३— अतः अनुरोध है कि कृपया अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक—६९८ तक के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के सेवा अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जायः—

(१)— विगत में यह देखने में आया है कि अधिकान्श कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व ०२ या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये है अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप—पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

(२)— वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं के वार्षिक मंतव्य, सत्यनिष्ठा पूर्ण कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियाँ/सूचना अंकित करने के

सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या:डीजी-परिपत्र-49/ 2013 दिनांक 29-08-2013 द्वारा समुचित मार्ग-दर्शन निर्गत किया गया है। (परिपत्र दिनांक 29-08-2013 की प्रति संलग्न है।)

- (3)- भर्ती/चयन वर्ष-2014 की रिकितयों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक-698 तक के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) का विवरण बोर्ड प्रपत्र-12 में वर्ष-2005 से 2014 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 01-07-2015 होगी। बोर्ड प्रपत्र-12 को भरने हेतु दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट [www.uppbpb.gov.in](http://www.uppbpb.gov.in) के होम पेज पर उपलब्ध लिंक “प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों” पर लिंक करने पर “प्रोन्नति के लिये अहं अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप” के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहाँ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। (बोर्ड प्रपत्र-12 एवं भरने हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।)
- (4)- बोर्ड प्रपत्र-12 में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-12 में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती हैं तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।
- (5)- कतिपय पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा “ओवर लुक” हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक-698 तक के पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। (स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)
- (6)- यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड

प्रपत्र-12 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-12 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।

- (7) समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।
- (8) सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की चरित्रपंजिकायें एवं **बोर्ड प्रपत्र-12** में सूचनायें (ए-३ साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों ०३-०३ प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की **सी०डी०** लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-१८ में दिनांक: 20.12.2015 तक उपस्थित होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7— प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (अन्तिम वरिष्ठता सूची)

१८-५८ उपलब्ध-

  
(भगवान् स्वरूप)

पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना,  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि : पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) की अन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की बेबसाइड पर अपलोड कराने की कृपा करें।

संलग्नक: यथोपरि (सी०डी० स्टॉर्कें)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या-टीकी-परिपत्र- ५१ / २०१३

दिनांक : लखनऊ : बारत २९, २०१३

सेवा मे।

- १- समस्त पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- २- समस्त पुलिस उच्चमहानिदेशक परिषेन्ट, उत्तर प्रदेश।
- ३- समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ शास्त्रा/ इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय-

कानूनानुसार से हड्ड कानूनानुसार से पर पर वरिष्ठा के आधार पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में दर्श १९७ एक दर्श पुलिस कार्मियों की चरित्र परिकाली/ सेवा अभिलेखों को वृद्धिहीन सप्लाय कराए जाने के संबंध में

आवश्यक है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर वरिष्ठा के आधार पर अनुप्रयुक्तों को छोड़ते हुए प्रोन्नति प्रदान किये जाने के राबन्ध में साक्षात् पुलिस कार्मियों की चरित्र परिकाली का अध्यावधिक होना अपरिहार्य है। अर्थात् जब कुटिलून सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बत्त की समाजनी रहती है कि उठो तुलिस नहीं ऐसे प्रोन्नति द्वारा कुछ कार्मियों के संबंध में प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर विवाह नहीं किया जा सकता अथवा कुछ कार्मियों की प्रोन्नति के संबंध में वर्तन राशीत की संस्थापि द्वारा विकास के भवित्व में भवित्व रही ही जाती है। आप सभी ग्रहण करों कि यदि प्रोन्नति के बाब होते हुए भी किसी कामी को प्रोन्नति नहीं मिलती तो अब विवाह से निपत्ती ही तो इससे उसके मानवत्व पर विवरिति प्रमाण खड़ता है।

२- उपरोक्त तथ्यों के वृष्टिगत वर्जनान में आरक्षी से गुण्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्नति प्रदेश के वृद्धिहीन निष्पादन के लिए यह निवारण अवश्यक है कि सभी सम्बंधित पुलिस कार्मियों की चरित्र परिकाली का गहनता से प्रभारीकरण करते हुए यह जुनिएयत कर लिया जाव कि सभी कार्मियों की चरित्र परिकाली की सभी प्रविधि अद्यावधिक कर दी गई है तथा साथ ही सामिनल रोल सिस्टम में भी सभी प्रविधियों फॉर्म कर दी गई है।

३- अब आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद/ इकाई तत्त्व पर अपर दुलिस अद्यावधि प्रभारी कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया जाये तथा उसमें प्रधान लिपिक एवं सम्बंधित चरित्र विज्ञान लिपिक सभ्य और उपपुक्त कम्प्यूटर कार्प के दस कार्मियों को नियुक्त कर निम्नत उभी नियुक्त पर चाहिए अद्यावधिक हृष्णवंश प्राथमिकत के बाबार पर चरित्र विज्ञान में तथा नामिनल रोल सिस्टम में अपेक्ष कराना सुनिश्चित होते -

वार्षिक मन्त्रालय-

१- कार्मियों के सेवा अभिलेखों व सम्बंधी सेवागत के वार्षिक मन्त्रालय की प्रविधि करना।

२- कार्मियों के प्रतिकल गत्तम अपेक्ष किये जाने का नोटिस निर्गत करने की विधि का डिलेक्ट चरित्र विज्ञान में अधिकत लिया जाव द्या यदि नोटिस न दिया गया ही तो उसका नोटिस निर्गत कर अधिन कर्मियों पर लगाया जाव यदि इस सफ्टवर में गोपनीयता वा मात्राविवरण द्वारा कोई त्रुटी विकास करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र विज्ञान में उपयोग की जाए।

PHQ AID

मुख्यालय  
उत्तर प्रदेश  
०८०२५२५३०५५५

3- कर्मियों के वार्षिक मनतार्थों के कठिनपूर्ण कारणों से समय से अविहृत न होने की दशा ने सामान्य होने की 'मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उद्धृत पुलिस नर्टी एवं शोन्नति के द्वारा मान्य नहीं है। अतः इस प्रकार सामान्य की मोहर लगाकर चरित्र परिज्ञान नहीं प्रेषित किया जाये।

4- कर्मियों के वार्षिक मनतार्थ न लिखे होने की दशा में गालिमादेस संघर्ष 36/8/1978-कार्मिक-2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 दो अनुसार बैंक की मोहर लगाकर वार्षिक मनतार्थ प्रेषित किये जाते हैं। दो दर्द से अधिक दर्दों में बैंक की मोहर लगाकर प्रेषित करना नहीं मान्य होगा। अतः दो दर्द से ज्यादा में बैंक की मोहर न लगाई जाये।

5- यदि अग्रिमार्थ कारणों से लिखी दर्द के वार्षिक मनतार्थ न लिखा जा पा तो उस दर्द के साथका में निम्न 07 बिन्डुओं पर सूचना चरित्र परिज्ञान में अंकित किया जाए:-

(1) उपरोक्त दर्दों में उभय कर्मी दोनों दोनों दिवारों प्रसारण पत्र। इस सम्बन्ध में यह प्रत्यापित करता है कि उपरोक्त दर्दों में वह निरन्तर सेवा में रहे हैं या उन्होंने विरत आदेश ग्रहणान्वित रहे नहीं रहे हैं।

(2) उपरोक्त दर्दों में उभय कर्मियों दोनों प्रतिकूल उद्योग संघर्षपरिज्ञान निलम्बन एवं 4(1), 14(2) के अनुसार एवं उपरोक्त मिला हो या मिले हो तो उनका विवरण तथा किस पटना के सम्बन्ध में दाख मिला हो तो उस पटना का दिनांक। दोस्त-किसी कर्मी की 2025 की पटना के लिए दर्द-2000 में दर्ढ मिला हो तो उन्होंने दिनांक अंकित करते हुये वह स्पष्ट किया जाये कि दर्द 2005 की पटना के लिए दर्द-2000 में दर्ढ मिला है।

(3) उपरोक्त दर्दों में उभय कर्मी के विस्तृत लोई मुकदमा पञ्जीकृत तो नहीं हुआ है। यदि पञ्जीकृत हुआ हो तो उस लोकदर्दों की अपील विवरण में क्या दिखता है (यह विवरण आदेश है, या अनियम रिपोर्ट ली है? यह इसमें अलौप पत्र निरीत दोकार मननीय व्यावालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या उसका कोई गहरा अध्ययन नहीं कर तथा भाग व्यावालय द्वारा परिवर्त आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित प्राप्ति भी प्राप्त कर चरित्र परिज्ञान में घटना की जाए।

### सातवीं-

कर्मियों की सत्वपिष्ठ रूपों जाने का नोटिस लिखते करने की विधि का उल्लेख चरित्र परिज्ञान में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निरीत कर अप्रिय कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में 30 व्यावालय या 30 अधिकरण द्वारा कोई रखतानावेश अवश्य लिखित किया गया हो तो उसका अंकम चरित्र परिज्ञान करते हुए इसकी प्रगति प्रति चाहत्र परिज्ञान में जरूर की जाए।

### बाह्य अपील एवं रिवीजन-

1- कर्मियों को 14(1) दर्था 14(2) के सन्तुष्ट प्रदृष्ट दर्ढ का उद्धरण चरित्र परिज्ञान में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर दिया जाये कि जिस पटना के संबंध में दर्ढ प्रवान फिल किया गया है उसके घटित होने की विधि अध्ययन अपेक्षा उद्धरण में अवश्य अंकित हो।

2- कर्मियों को दिये गये एवं दर्ढ के विस्तृत व्योजित अपील तथा रिवीजन में परिवर्त अपवा उनके विचाराधीन होने का उपर अंकन किया जाये। यदि अपील अध्ययन रिवीजन में परिवर्त आदेश के कारण दर्ढ विलोपित किया जाता है तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा लवाय इमरीत किया जाया है।

3- कर्मियों को प्रवत्त दर्ढ के विस्तृत यदि भाग लोक सेवा अधिकरण अध्ययन सम्बन्ध में व्यावालय द्वारा दर्ढ के संबंध में परिवर्त अध्ययन अध्ययन रिवीजन में किया जाय तथा आदेश की प्रति चाहत्र

### निलम्बन-

१- कर्मियों के निलम्बन व उनके निलम्बन का स्पष्ट उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जाए।

२- कई कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके विलुप्त आपाराधिक अभियोग भौतीकृत होने के कारण निलम्बन किया जाए। अमंत्र अंकित किया जाता है परन्तु उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण चरित्र पंजिका में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि शोई कर्मी अभियोग भौतीकृत होने के कारण शहरमाल में अध्ययन गृह में निलम्बन किया गया है तो चरित्र पंजिका के लिये इसी रूपी पृष्ठ पर उस अभियोग के सम्बन्ध में अध्याद्यक्षता सम्बन्धित की जाय और चरित्र पंजिका में निलम्बन के विवरण की शामुख अभियोग की अध्याद्यक्षता सूचना दी जाए।

### उपराख-

कर्मियों के दोनों अभिलेखों ने उनके विस्तृ पंशीकृत सभी अभियोगों का स्पष्ट अंकन किया जाय। प्रियोग तथा से यह स्पष्ट किया जाए कि यह पंशीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है अध्ययन नहीं, यदि आरोप पत्र प्रेषित है तो आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि तथा आरोप पत्र संख्या को चारित्र पंजिका में अंकित किया जाए। यदि विलुप्त रिपोर्ट प्रेषित की गई है तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं मात्रा व्यापालय द्वारा स्वीकृत करने की तिथि तथा उस आदेश की प्रमाणित छापानि चरित्र पंजिका में अंकित और चर्चा की जाय। मात्रा व्यापालय में विवाराधीन अभियोग ने यदि शोई कर्मी दोषमुक्त किया गया हो तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका ने सहमन की घोषे पर उसका स्पष्ट अंकन चरित्र पंजिका में किया जाए। यदि मात्रा व्यापालय में विवाराधीन अभियोग में शोई कर्मी भी घोषित हो तो उसका भी स्पष्ट अंकन किया जाय तथा मात्रा व्यापालय की आदेश एवं प्रति भी घोषित पंजिका में इस्ता कर दी जाए। साथांतर लभी अभियोगों की अद्यतन विधि चरित्र पंजिका में अंकित की जाए जिससे कर्मियों एवं सेवकों में इन सभी द्वारा तभी विशेष किया जा सके।

३- ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर ले दिनकी चारित्र पंजिका चर्चपद में प्राप्त नहीं हो अध्ययन द्वारा दी गई है और दुसरीफें चरित्र पंजिका तैयार की जा रही है या दुसरीफें चरित्र पंजिका तैयार की गई है। इस घम में सुनिश्चित कर लिया जाय कि दुसरीफें चरित्र पंजिका में सम्बन्धित कर्मी के एवं 1990 से अब तक तेरी योग्यता मन्तव्य, दीर्घ, लघु अध्ययन ग्रन्थों सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरन्तरता का उल्लेख कर दिया गया है। इन्होंने के सम्बन्ध में की गई अधिकार आविष्यन की अध्याद्यक्षता विधि भी स्पष्ट दी जाए। इच्छा आरोप का अनुस्रवण प्रतिदित जनपर्वीय/इकाई इनारी द्वारा देया जाय हवा शम्भत अपेक्षित कार्यालयी 15 निवारक 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

शायाधीन रास्कारी सेवा में भेषणता कर्मियों की प्रेनारियों के लिए हाने वाले चुनावों में इन लिङाके की गांगाही विषयक शासनादेश नंबर-या-13/21/85-क-1-1987 दिनांक 28-09-1997 के छन्द-2 में विहित ग्रामियानों के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों की स्पष्ट सूचना उल्लेख भर्ती एवं प्रोन्नति शोई द्वारा जारी व्रपत्र-3 में अंकित किया गया है।

१- यदि कर्मिक निलम्बन घम रहा है।

२- यदि कर्मिक के विलुप्त अनुशासनिल कार्यालय या शासनाधीनकरण की गांगाही लभित है, जिसके द्वारा आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।

३- यदि आपाराधिक आरोप के आकार पर कर्मिक के विलुप्त अभियोगन की कार्यालयी लभित है शायान्त्र व्याधतय में अभियोगन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रियेत हो कि अधीकरण देशी के प्रदिवस कर्मियों की चरित्र पंजिकाएं अपूर्ण अव्यय वृटिरूप होने के कारण नहीं प्रक्रिया दृष्टि होती है। अतः तात्पत्ति को निरीक्षित दिया जाता है कि उत्ता रिन्दुओं की व्याप में रुद्धी हुए 1970 से 1975 तक दो आरोपियों की चरित्र पंजिकाएं पूर्ण करा ली जाए तथा 1970 वृत्तिरूप एवं प्रोन्नति शोई द्वारा जारी। व्रपत्र-3 में अंकित साधाधीनपर्वक समस्त सद्विमान उपलब्ध नहीं।

जप से पूर्ण कराये जाने का व्यविधान चारोंत्र जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक व डुकाई/ शाखा प्रमाणी के साथ-साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रमाणी कार्यालय का होगा इया इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आने वाले तत्वावधि जनपद/डुकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रमाणी कार्यालय से विस्तृत कठोर कार्यवाही की जाएगी। सामर्त्य कियागया, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिषेक अपने अधीनस्थ जनपदों/डुकाईों में इस कार्य की प्रशंसि को प्रत्येक संसाह अनुश्रवण करेंगे और इसको ३० सितंबर २०१३ तक प्रत्येक दर्जा में पूर्ण करायेंगे।

(दरराज मात्र) २९५/।।

पुलिस महानिरीक्षक,  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-सूचपाय निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यपाली सम्याचारगत सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रवित है :-

१-पुलिस महानिरीक्षक प्रधिकार, छात्राव प्रकोष्ठ, आदार निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवाधिकार एवं नीली सेवार्थ, द०५० पुलिस भवी एवं प्रान्ति बोर्ड लकड़ाऊ, उत्तर प्रदेश।

२-अपर पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, सीधीसीधीभाईड़ी, भासायात, भट्टाचार, विशेष जौध, पौरीएस राजस्थान, सूखा, उत्तर प्रदेश।

३-पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक के संहारफ, उत्तर प्रदेश।

४-पुलिस उपमहानिरीक्षक/स्थापना ज०५० पुलिस नुख्यालग, इलाहाबाद।

२५/५/।।  
निम्न  
प्राप्त हुए हैं अधिकार  
०५ ०० ता

## स्वघोषणा—पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ) \_\_\_\_\_

पुत्र

निवासी

थाना

जनपद

वर्तमान में(जनपद/इकाई) \_\_\_\_\_

नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र

का पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
  - (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:\_\_\_\_\_ को आरोप-पत्र दिया गया है।
  - (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0 \_\_\_\_\_ धारा- \_\_\_\_\_ थाना- \_\_\_\_\_ जनपद- \_\_\_\_\_ में लम्बित है, जिसमें दिनांक:\_\_\_\_\_ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी- \_\_\_\_\_ द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में \_\_\_\_\_ स्तर पर चल रहा है।
- 2— मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्ति रथान-

दिनांक:

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व ((3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।